न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–658 / 2026

रामानंद सिंह बनाम् बिहार सरकार

सराय थाना कांड संख्या–49 / 2026

अंतर्गत धारा–303(2) भारतीय न्याय संहिता।

08-06-2026

सराय थाना कांड संख्या–49 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–303(2) में अभिरक्षाधीन आवेदक **रामानंद सिंह उम्र–29 वर्ष पेसर–रिती रमण सिंह** साकिन–राजापाकर दक्षिण, वार्ड नं0–9, थाना–राजापाकर, जिला–वैशाली, जो दिनांक–18.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री अवधेश कुमार** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्याम बाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, सूचक के दरवाजे पर से मोटरसाईकिल रजि0 नं0–बी0आर0 06 डी0आर0 5003 को शाम 07.30 से 08.15 बजे के बीच किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। उक्त मोटरसाईकिल को सूचक अपने साला रौशन राज का लाकर रखा था।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक दिनांक–18.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में शक के आधार पर फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्व पांच कांड लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक को राजापाकर थाना कांड सं0–101 / 26 से रिमांड किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के पास से चोरी का मोटरसाईकिल बरामद नहीं हुआ है। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि उसे राजापाकर थाना कांड सं0–101 / 26 से रिमांड किया गया है। आवेदक पर सूचक का मोटरसाईकिल चोरी करने का आरोप है। प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 06, 07 एवं 08 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 31 से विदित होता है कि इस काण्ड में चोरी हुई मोटरसाईकिल की बरामदगी हो चुकी है। आवेदक दिनांक–18.03.2026 से कारा में निरूद्व है।

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–658 / 2026

रामानंद सिंह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

08.06.2026 अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदक को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक को मो0 10,000 / – की समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि–

1. आवेदक किभी भी प्रकार के ऐसे अपराध में शामिल नहीं होगा और हिरासत से रिहा होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को अपने सदाचरण के संबंध में उपस्थित होकर रिपोर्ट करेगा।

2. आवेदक किसी भी तरह से मुकदमा के निपटारा में देरी नहीं करेगा और आरोप गठन होने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–351 के तहत बयान होने के समय वह शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी आवेदक द्वारा उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित विचारण न्यायालय आवेदक का जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

आवेदक का जमानत स्वीकार करने से पहले विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को भेजे और उन्हें निर्देश दिया जाए कि यदि आवेदक उपरोक्त शर्तों में निर्दिष्ट किसी भी महीने में उनके समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित थानाध्यक्ष विद्वान विचारण न्यायालय को सूचित करें।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official